

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली-110092

पत्रांक: सी0बी0एस0ई0/एनओसी0/

/2024-25

दिनांक: 20-01-2025

विषय-वी0आर0 पब्लिक स्कूल, सराय हैवतपुर सिरसागंज, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक: 30 नवम्बर, 1991 एवं शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक: 14 जुलाई, 2009 एवं तद्विषयक शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: सामान्य-1 शिविर/7560-7776/2020-21 दिनांक: 22 जनवरी, 2021 के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ के शासनादेश संख्या-2144/15-07-2020-1(34)/2020 दिनांक: 07 जनवरी, 2021 के द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित माध्यमिक शिक्षा विभाग की सेवा माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिसके क्रम में वी0आर0 पब्लिक स्कूल, सराय हैवतपुर सिरसागंज फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। उक्त ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 10.01.2025 में प्रदान किये गये अनुमोदन के उपरान्त वी0आर0 पब्लिक स्कूल, सराय हैवतपुर सिरसागंज, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

(क)-विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख)-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग)-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ)-संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ)-संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

San

(घ)-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ)-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज)-विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ)-विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ)-उपर्युक्त कम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

(ट)-उपर्युक्त कम क से ज तक के प्रतिबन्धों की सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(ठ)-संस्था को उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(ड)-विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

(ढ)-अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करते हुये सम्बन्धित विभाग से निरीक्षण कराया जायेगा और यथानियम प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ण)-भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के चयनित किये गये बच्चों को धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।

(त)-शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018" का अनुपालन किया जायेगा।

(थ)-स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(द)-माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश के कम में भवन सुरक्षा नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया संज्ञान में आता है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) वापिस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

भवदीय

(आर०पी० शर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

प०सं०:सी०आई०एस०सी०ई०/एनओसी/13164-72/2024-25 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,माध्यमिक शिक्षा-7 अनुभाग,लखनऊ।
- 2-आयुक्त,आगरा मण्डल,आगरा।
- 3-जिलाधिकारी,फिरोजाबाद।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0,शिविर कार्यालय,18 पार्करोड,लखनऊ।
- 5-जिब्रा विद्यालय निरीक्षक,फिरोजाबाद।
- 6-प्रबन्धक-वी0आर0 पब्लिक स्कूल,सराय हैवतपुर सिरसागंज,फिरोजाबाद।
- 7-निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ।
- 8-गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल,आगरा।